

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर  
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 04/2022 (2022/141)

**प्रार्थी**

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

**बनाम**

**अप्रार्थी**

1. नेमाराम जाट पुत्र धन्नाराम जाट, उम्र 31 वर्ष (एफबीओ एवं मालिक) फर्म मैसर्स महालक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, जाटावास, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। निवासी – चारणों की ढाणी, बडला नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. हरीश कुमार होलानी पुत्र नन्दकिशोर होलानी, उम्र 31 वर्ष (पैकर्स एवं मालिक) फर्म – मैसर्स होलानी मार्केटिंग, शोप संख्या 21, वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी – मुन्दडो की गली, डीडवाना, जिला नागौर।

—:आदेश :-

दिनांक :- 27.03.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.02.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिंग फर्म मैसर्स महालक्ष्मी किराणा एण्ड जनरल स्टोर, जाटावास, झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय दुकान पर (एफबीओ/विक्रेता) की हैसियत से नेमाराम जाट पुत्र धन्नाराम जाट, निवासी – चारणों की ढाणी, बडला नगर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर उपस्थित मिले हो उक्त दुकान में चाय (क्रान्ति) एवं अन्य किराणा सामान आदि आम जनता को उपयोग हेतु निर्माण एवं पैक कर रहे थे। दुकान का निरीक्षण करने पर रैक्स पर चाय (क्रान्ति) 250 ग्राम के 25 पॉली पैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 560/- नगद देकर चाय (क्रान्ति) 1 किलोग्राम के 8 मूल पॉली पैकेट्स वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंगन है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त चाय (क्रान्ति) को चार डिब्बों में डालकर चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम-2815 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-2815 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में



अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम-2815 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं ने, गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंगन है।

कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेसन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 28.02.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग-अलग असल सलंगन है।

एम-2815 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 26.02.2022 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 26.02.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग-अलग मूल सलंगन हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 287-288 दिनांक 24.03.2022 के साथ संलग्न मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 661/एक्ट/2022/646 दिनांक 10.03.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु जरिये रजिस्टर्ड सूचनार्थ प्रेषित की गई। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गई। उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (क्रान्ति) का नमूना Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006 होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्टे सलंगन है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणराम चौधरी तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से पैकिंग माल खरीदकर बेचा गया इसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस के समर्थन में उक्त खरीद किये गए माल का मूल बिल व इसके एवज की भुगतान की गई राशि की रसीद पेश कर प्रकरण खारिज करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने विवादग्रस्त क्रान्ति चाय चिन्ह के लिए अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपियाँ पेश कर बतलाया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई अनिमितता व नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया। प्रार्थी द्वारा जो जांच रिपोर्ट पेश की गई उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होना स्पष्ट होता है। प्रार्थी ने केवल और केवल पैकिंग

पर अपूर्ण पता बताकर प्रकरण पेश किया है। यदि उसके उपरान्त भी अप्रार्थी द्वारा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है तो उस पर न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित कर अपराध का शमन करवाने की कृपा करावें।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु चाय (क्रान्ति) का सैम्पल लिया गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (क्रान्ति) का नमूना Misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act, 2006 होना पाया गया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके अप्रार्थी संख्या 02 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 एवं 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन किया है जो धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

### आदेश

अप्रार्थी संख्या 02 हरीश कुमार होलानी पुत्र नन्दकिशोर होलानी पर शास्ती रूपये 5,000/- अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2023/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. हरीश कुमार होलानी पुत्र नन्दकिशोर होलानी, उम्र 31 वर्ष (पैकर्स एवं मालिक) फर्म – मैसर्स होलानी मार्केटिंग, शोप संख्या 21, वीर सावरकर ब्लॉक, मण्डोर मण्डी, जोधपुर। निवासी – मुन्दडो की गली, डीडवाना, जिला नागौर।

(मदनलाल नेहरा)

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।